न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्र	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	38/18	2018/00064	04.07.2018	सरकार बनाम भारत भूषण व अन्य	26.02.2026	1 लगायत8

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 38/2018 (2018/00064)

उनवान प्रकरण–

1. नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।

–आवेदक

बनाम

1. भारत भूषण तलूजा पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार तलूजा उम्र 29 वर्ष निवासी रेल्वे स्टेशन गुरूद्वारे के पास पोस्ट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स भारत कोल्ड एजेंसी रेल्वे स्टेशन , गुरूद्वारे के पास ग्रा0/पोस्ट गंगापुर सिटी।
2. श्री योगेन्द्र कुमार तलूजा पुत्र श्री रमेश चन्द्र तलूजा निवासी रेल्वे स्टेशन गुरूद्वारे के पास पोस्ट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (खाद्य अनुज्ञापत्रधारी) मैसर्स भारत कोल्ड एजेंसी रेल्वे स्टेशन , गुरूद्वारे के पास ग्रा0/पोस्ट गंगापुर सिटी।(हजफ)
3. रमेश सिंह रावत (नोमिनी) मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्रा0लि0 एस पी 39–40 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा,चौमू जिला जयपुर राजस्थान
4. मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्रा0लि0 एस पी 39–40 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा,चौमू जिला जयपुर राजस्थान
5. सोमेन अधिकारी (नोमिनी) मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्रा0लि0 ग्राम गोबलेज, जिला एवं तालूका –खेडा गुजरात 387440
6. मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्रा0लि0 ग्राम गोबलेज, जिला एवं तालूका –खेडा गुजरात 387440

–अभियुक्तगण

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कुमार चेजारा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 20/05/2016 को समय05:00 पी.एम पर मैसर्स भारत कोल्ड एजेंसी रेल्वे स्टेशन गुरूद्वारे के पास गंगापुर सिटी पहूँचा वाहं पर विकेता की उपस्थिती में दुकान के गोदाम का निरीक्षण किया गोदाम में खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिकिंग पानी, मिक्सड फुड ड्रिंक ,मेंगों ड्रिक आम जनता को विकय हेतु रखी हुई थी। विकय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Fruit Drink (Maaza) 1.2 Lit.** की लगभग 40 पेट बोटल गोदाम में कार्टून में फर्श पर रखी हुई थी के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **Fruit Drink (Maaza) 1.2 Lit.** पेट बोटल वास्ते नमूना जांच कय कर राशि 280/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ **Fruit Drink (Maaza) 1.2 Lit.** पैट बोटल को मूल ही लेकर, आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया , प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच 936 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द सैन वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक ,जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2016/2167 दिनांक 12.08.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1706/एक्ट/2016/2671 दिनांक 22.07.2016 से अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ **Fruit Drink (M... Lit.** मिसब्राण्ड पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1706/एक्ट/2016/ 2671 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Fruit Drink (Maaza) 1.2 Lit.** का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित वकील अभियुक्त ने अवगत कराया कि अभियुक्त सं0 2 फौत हो चुका है तथा अभियुक्त सं0 2 का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त सं0 2 के फौत हो जाने के कारण अभियुक्त सं0 2 का नाम हजफ किया गया तथा उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य विषलेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1706/एक्ट/2016/ 2671 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Fruit Drink (Maaza) 1.2 Lit.** का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्तगण सं0 1व 2 के अधिवक्ता की सर्वप्रथम प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस सुनी गई। अभियुक्तगण सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा नमूने की वस्तु को उसी अवस्था में विक्रय किया गया है जिस अवस्था में उनके द्वारा कय किया गया था, इसलिए मुताबिक धारा 80 **(B)(2)(d)(i) FSSA,2006** आरोपीगण आक्षेपित लेबल मिसब्राण्ड के आरोप के लिए उत्तरदायी नहीं है। अपितु निर्माता इस बाबत उत्तरदायी है। अभियुक्तगण के इस बाचावी आधार के पक्ष में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , इन्दौर बैन्च द्वारा दिनांक 14.10.2017 को प्रसारित ज्यूडिशियल नोटिस तुल्य निर्णय जिसका प्रकाशन **2018 (1) FCA 118** पर हुआ है, साथ ही अभियुक्त सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने उक्त कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया।

अभियुक्तगण सं0 1व 2 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करते हुए दौराने मूल बहस निवेदन किया कि जिस प्रयोगशाला में नमूने का परीक्षण किया गया है। वह एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही इसे एफएसएसए अधिनियम की धारा 43 के तहत खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए उपरोक्त प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। खाद्य [illegible] अधिनियम के तहत खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रयोगशाला एक प्रयोगशाला है जो या तो राज्य या केन्द्रीय प्रयोगशाला या कोई अन्य संबद्ध प्रयोगशाला है जो अधिनियम की धारा 43 के तहत एनएबीएल और खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है। धारा 43 की उपधारा (1) यह स्पष्ट करती है कि केवल उसी प्रयोगशाला में जिसे खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना द्वारा मान्यता प्राप्त है, भोजन को खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण के लिये भेजा जा सकता है। आवेदक द्वारा उक्त नमूना मिसब्राण्ड बताया गया है,लेकिन यह उल्लेख नहीं किया है कि नमूना कैसे और किस तरीके से मिसब्राण्डेड है। आवेदक नमूना प्राप्त होने के 14 दीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए उत्तरदायी है, जबकि मौजूदा प्रकरण में आवेदक ने नमूना दिनांक 23.05.2016 को लिया जबकि रिपोर्ट दिनांक 22.07.2016 यानी 14 दिन से अधिक की है। जो एफएसएसए नियमों के नियम 2.4.2.(5) और एफएसएसए की धारा 42(2) का उल्लंघन है। अभियुक्तगण को खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के खिलाफ़ अपील दायर करने का अवसर नहीं दिया गया है। जबकि एफएसएसए की धारा 46(4) और नियम 2.4.6. के तहत अपील करने हेतु समय दिया जाता है , साथ ही अभियुक्त सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने उक्त कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया।

अभियुक्त सं0 3 लगायत 6 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र. दिनांक 18.12.2019 वास्ते प्रारम्भिक आपत्ति का अवलोकन किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त नमूना जो मिसब्राण्ड बताया गया है एक तकनीकी प्रकृति का अरोप है इसलिए गम्भीर लेबल मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है, साथ ही मा0 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चित्तोडगढ में लंबित मुकदमा नं0 31/2017 में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट 22.06.2016 व मा0 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चित्तोडगढ में लंबित मुकदमा नं0 33/2017 में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 व मा0 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बून्दी के मुं0नं0 109/2016 मय प्रस्तुत जांच रिपोर्ट 08.08.2016 व मा0 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर में लंबित मुकदमा नं0 7/2017 में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट 03.08.2016 व मा0 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झन्झुनु में लंबित मुकदमा नं0 36/2016 में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट 10.08.2016 व मा0 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा में लंबित मुकदमा नं0 13/2017 में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट 08.08.2016 में प्रस्तुत समस्त जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड बता रखा है। जबकि माननीय न्यायालय में लंबित प्रस्तुत प्रकरण सं0 38/2018 में इसी प्रकार के समान पैकेजिंग एवं लेबलिंग डिफैक्ट के लिए रैग्यूलेशन नं0 2.2.5 **(ii)(c) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011** की उल्लंघनता दर्शाया है जो भ्रामक होना बताया है तथा रैग्यूलेशन नं0 2.2.5 **(ii)(c) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011** का सही तौर पर उल्लंघन पाया जाता तो धारा 32 **Food Safety and Standards Act, 2006** के तहत लेबलिंग में सुधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

करवाने हेतु देने योग्य अनिवार्य नोटिस विपक्षीगण को दिया जाना अनिवार्य था, साथ ही अभियुक्तगण पर उक्त कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया।

अभियुक्त सं0 3 लगायत 6 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र. दिनांक 16.08.2021 वास्ते प्रारम्भिक आपत्ति का अवलोकन किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार नमूना वस्तु के लेबल पर उत्पादक द्वारा यह घोषणा की हुई है कि **"added mango Flavours (Natural, Nature-Identical and Artificaial Flavouring Substances)"** किन्तु खाद्य विश्लेषक की उक्त जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं है कि व्याख्यायुक्त उक्त प्रावधान की आरोपीगण ने किस प्रकार से एवं किस प्रकृति का उल्लंघन किया है, साथ ही रैग्यूलेशन नं0 2.2.5 **(ii)(c) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011** की बुक प्रिन्ट फोटोस्टेट प्रति संलग्न की है। आवेदक से उक्त आश्य का बेटर प्रटिक्यूलर्स लिया जाकर अभिलेख पर मंगवाया जावे, ताकि आरोपीगण खुलकर अपनी प्रतिरक्षा कर सके। **FSSAI** द्वारा दिनांक 17.07.2018 को जारी एडवाइजरी के तहत धारा 32 **Food Safety and Standards Act,2006** को नोटिस बिना दिये प्रस्तुत किया गया है जो निरस्तनीय है। खाद्य विश्लेषक श्री पंकज कुमार ने अपनी उक्त विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 22.07.2016 के जांच परिणाम की टेबल में कमांक 4 पर **Added colouring matter** को प्रेस्काइब्ड स्टैण्डर्डस में **Absent** रहना चाहिए, दर्शाकर जांच परिणाम में कॉलम में नमूने में **Sunset yellow** नामक कलर पाया जाना वर्णित किया है। जो भ्रामक है। यह **Sunset yellow** कलर उक्त रेगुलेशन नं0 3.1.2(4) के तहत सिन्थेटिक फूड कलर के तौर पर खाद्य पदार्थो में संयोजित किया जाना परिमिसिबल है, साथ ही अभियुक्तगण पर उक्त कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया।

अभियुक्त सं0 3 लगायत 6 की और से प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 14.09. 2022 का अवलोकन किया गया। उक्त बहस के अनुसार आवेदक पत्र में न तो आरोपी नं0 1 एवं 2 की उक्तानुसार जिम्मेदारी की पालना नहीं करना उल्लेखित किया है तथा न ही आरोपी नं0 3 एवं 4 जिन्होने केवल नमूने के माल का स्टॉक ट्रॉसफर करके आरोपी नं0 1 एवं 2 को भिजवाया की उक्तानुसार जिम्मेदारी की पालना नहीं करना उल्लेखित किया है तथापि नमूने का माल आरोपी नं0 05 एवं 6 के यहां उत्पादित होना जांच रिपोर्ट से साबित है किन्तु आरोपी नं0 05 एवं 6 की भी धारा 26 **FSSA** 2006 के अधीन जिम्मेदारी की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया है जबकि आरोपी नं0 3 एवं 4 तो आरोपी नं0 05 एवं 6 उत्पादक कंम्पनी की ही युनिट्स है एवं केवल स्टॉक ट्रॉसफर करने का काम किया है। इस प्रकार आरोपी नं0 3 एवं 4 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है। आरोपी नं0 1 एवं 2 उत्पादक नही अपितु विकेता है इसलिये इस धारा के तहत विमुक्त होने के अधिकारी है। इसी प्रकार स्टॉक ट्रान्सफरकर्त्ता आरोपी नं0 3 एवं 4 भी उत्पादक पैकर होलसेलस वितरक एवं सैलर की तारीख में नहीं आता है। जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर भी इस प्रकरण में पार्टी [illegible] इस प्रकरण का अनुसंधान एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जांच को अभियोजन पक्ष ने दुषित बना दिया है, साथ ही वकील अभियुक्त ने मैगी मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में **Writ Petition (L) No. 1688/2015 M/s Nestle India Ltd Vs. The Food Safety and Standards Authority of India & Others** के प्रकरण का हवाला देते हुए उक्त निर्णय के विपरित जाकर अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त अविधिकता अपनाना कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट तुल्य अपराध होना अवगत कराया है।

3.1.10 FLAVOURING AGENTS AND RELATED SUBSTANCES

(1) Flavouring agents: Flavouring agents include flavor substances, flavor extracts or flavour preparations, which are capable of imparting flavouring properties, namely taste or odour or both to food. Flavouring agents may be of following three types:-

(1) Natural Flavours and Natural Flavouring substances means flavour preparations and single substance respectively, acceptable for human consumption, obtained exclusively by physical processes from vegetables, for human consumption." के अनुरूप तीनों प्रकार के **Flavoring Agents** नमूने के पेय माजा में मिलाये जाने के कारण ही लेबल पर **(Natural, Nature-Identical and Artificaial Flavouring Substances)** अंकित किया है जो उक्त विनियम 3.1.10(1) की पालना में लेबल पर लिखा गया है इसलिये आक्षेपित उक्त भिन्न प्रोविजन विनियम **2.2.2(5)(ii)(c)** के प्रावधानों का उल्लंघन करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

मुताबिक प्रावधान नियम **2.1.3 (4)(g) FSS Rule, 2011 "To recommend Designated Officer to issue of improvement notice to the Food Business Operator whenever necessary"** के अनुसरण में अपने अभिहित अधिकारी को अनुशंषा पत्र नहीं भिजवाया है। तत्पश्चात् धारा –32 **FSSA 2006** के तहत अभिहित अधिकारी को आरोपी के नाम नोटिस प्रेषित कर लेबल में इम्प्रूवमेन्ट/रेक्टीफिकेश करवाना कानूनन जरूरी था। किन्तु अभियोजन पक्ष के उक्त दोनों अधिकारियों ने अपने उक्त कानूनी कर्तव्यों की पालना नहीं की है।

अभियोजन पक्ष द्वारा लगाई गई सूची गवाहान के चारों गवाहों के बयान दर्ज करने एवं उनसे विपक्षीगण को प्रतिरक्षा करने का अवसर प्रदान करने सम्बन्धी विपक्षीगण की प्रार्थना तथा वर्णित जबाब न्याय निर्णयन आवेदन पत्र के उपरान्त भी अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान नहीं करवाये है जबकि विपक्षीगण की तामिल दिनांकित 22.08.2017 से 90 दिनों की अवधि दिनांक 19.11.2017 तक निर्णयन योग्य इस प्रकरण को अब तक 5 सालों से अभियोगी द्वारा बिलम्बित रखवा कर न्याय प्रकिया का दुरूपयोग किया जा रहा है इसलिये प्रकरण को अप्रमाणित मानकर खारिज किया जाना जरूरी है, साथ ही अभियुक्तगण पर उक्त कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह साबित होता है कि डी.ओ. के कोड एवं कमांक एओं– 152 की खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोट स 669/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/745 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार निम्न है :–

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, (RAJASTHAN).
FORM-B
Report of the Food Analyst
[Refer Regulation (ii) of 2.3.1]

(13)

Report No. L.S. 1706 / Act / 2016 / 2671 Date: 22-07-2016

Certified that I Pankaj Kumar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Naresh Kumar Chejara, Food Safety Officer O/O The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Fruit Drink (Maaza) Mango" bearing Code number and Serial number H-936 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 23-05-2016 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals no. 67 were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.

I found the sample to be "Fruit & Vegetable Products" falling under Regulation No. 2.3.10 ready to serve fruit beverage of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 03-06-2016 to 20-06-2016 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-
(1) Sample description: - Sample is in a sealed and intact one original company packed narrow mouth pet Bottle of 1.2L
(2) Physical appearance: - Yellow coloured liquid.
(3) Label:-
Brand name : - Maaza Mango, FSSAI No. 10012021000238
Batch No. : - E01A1D11
Date of Mfg. / Pkg. : - 02/05/16
Best before : - 6 months from manufacture.
Symbol for Veg. /Non Veg. : - Green symbol given.
Nutrition Information : - Given.
Ingredients :- Water, Mango Pulp (19.5%), Sugar, Acidity Regulator (330), Acidity Regulator (330), and Preservative (202), Contains Permitted Synthetic Food Colour (110) and added Mango Flavours (Natural, Nature-Identical and Aritificial Flavouring Substances) Contains Fruit.
Contravention of Regulations No. 2.2.2(5)(II)(c) of (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.
Name & Address of Mfr. /Pkr. : - Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd, Goblej Gujarat.-387440

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Total soluble solids (m/m).	Manual of method of analysis of food by D.G.H.S., New Delhi.	15.29%	Minimum 10.0%
2.	Test for sugar.	---do---	Positive.	Positive.
3.	Test for Saccharin.	---do---	Negative.	Negative.
4.	Added colouring matter.	---do---	Sunset yellow ✓	Absent.
5.	Microbiological examination.	---do---	No pathogenic microorganism grown on culture	The product shall conform to the microbiological requirement given in Appendix B of Food Safety and Standards Act-2006, Rules and Regulations, 2011.

Opinion- The sample of "Fruit Drink (Maaza) Mango" bearing Code No. and Sr. No. H-936 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Misbranded Food as per Section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act, 2006

Signed this 22nd day of July 2016

Food Analyst
FOOD ANALYST
RAJASTHAN, JAIPUR

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to. COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM
The Director (P.H.), Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

सरकार द्वारा अधिकृत किये जाने खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोट स 669/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/745 दिनांक 29.11.2018 ' में खाद्य वस्तु **Fruit Drink (Maaza) 1.2 Lit.** मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है लेकिन उक्त प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

खाद्य वस्तु **Fruit Drink (Maaza) 1.2 Lit.** मिथ्याछाप किस आधार पर मिथ्याछाप **(Misbranded Food)** है। इस संबंध में आवेदक द्वारा किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की है। ना ही आवेदक अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी प्रकार की व्याख्या की है।

आवेदक स्वयं के द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संबंध में व्याख्या नहीं कर पाया तथा प्रस्तुत आवेदन पत्र किस आधार पर प्रस्तुत किया है। सिद्ध करने में असमर्थ होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 26.02.2026 को सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:08:14 IST
Reason: SelfAttested